10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1 रु. कोर्ट फी COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE भारत INDIA Re.1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 ग्वालियर R - 1508 - PBR/14

श्रीमती चन्द्रकांता परमार पत्नी रामनरेश परमार, निवासी– मकान नं. 397 'परमार सदन' तानसेन नगर, ग्वालियर

..... आवेदिका

बनाम

1. राजेन्द्र लहारिया पुत्र भगवानदास लहारिया, निवासी– 'लहारिया भवन' नावकर नर्सिंग होम के सामने गली में चौथे नं. का मकान, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
2. तहसीलदार ग्वालियर द्वारा डी.डी. शर्मा
3. खनिज अभियन्ता धौलपुर राजस्थान

..... अनावेदकगण

श्री कुँवर सिंह कुशवाह (अभिभाषक) द्वारा आज दि. 13-5-2014 को प्रस्तुत

[signature]

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 263/2006-07अ-76 आदेश दिनांक 06.05.2014 को पारित।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1508–पीबीआर / 14 [चंद्रकांता / राजेन्द्र] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2014	आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 6–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 1 को 1,79,07,897 / – रूपये जमा कराने के निर्देश दिये गये है । उक्त सूचना पत्र से परिलक्षित होता है कि तहसीलदार द्वारा खनिज अभियंता, धोलपुर के आदेश के पालन में वसूली की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है और राशि वसूली की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा किया जाना है, जहां आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है और वे इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीम्योच्योर एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) **अध्यक्ष**	